अनवर लक्ष्मीनारायण बनाम रामोदर आदि

प्र. ~ 190/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
12.10.18	वकील वादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थीउप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.11.18 को पेश हो।
27.11.18	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ... में व्यस्त है। दिनांक 11.1.19 को पेश हो।
11.1.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनां 22-2-19 को पेश हो।
22-2-19	वकील वादी / प्रार्थी / अप्रार्थीउप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28-3-19 को पेश हो।
28-3-19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ... दौरे पर है दिनांक 30-5-19 को पेश हो।
30-5-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश कर नया दावा दायर करने की इजाजत के साथ विक्रय करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। इस बाद वादी नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ विक्रय किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
दावा दायर करने की अनुमति मिलने के बाद नोटशीट	
30-5-19	

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) 30-5-19